By Speed Post

भारत सरकार

Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. VG/1/2018/STGUP/SEHRMT/RU-I

Date: 12/10/2018

To

1. The Inspector General of Police,
Govt. of Uttar Pradesh,
Varanasi Range,
Maqbool Alam Road, Varanasi,
(Uttar Pradesh).
Tel: 0542 – 2509399.
Email: digrvns@nic.in

2. The Senior Superintendent of Police,
District - Varanasi – 221002.
(Uttar Pradesh).
Tel: 0542 – 2502644.
Email: sspvns-up@nic.in

Sub: Representation dated 15/12/2017 received from Ms. Veena Gond, W/o Shri Kamlesh Chandra, R/o C-32/42 Flat No. 205, Women Residence Chandua Chhittupur, Thana - Sigra, Varanasi-221002, Uttar Pradesh regarding FIR not lodged.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 26.09.2018 at 2:00 P.M. under the Chairmanship of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice- Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

The Director General of Police,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow (Uttar Pradesh) (A copy of the minutes is enclosed for necessary action)

Copy to:

Ms. Veena Gond,
W/o Shri Kamlesh Chandra,
R/o C-32/42 Flat No. 205,
Women Residence Chandua Chhittupur,
Thana - Sigra, District - Varanasi-221002,
(Uttar Pradesh) (Mob: 9935189467)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार
Govt. of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

श्रीमती वीणा गोंड (पत्नी श्री कमलेश चन्द्र), सी – 32/42, फ्लैट नंबर 205, विनसम रेजीडेंसी, चंदुआ, छित्तुपुर, थाना – सिगरा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के साथ मार पीट, उत्पीड़न तथा पुलिस द्वारा एफ़आईआर दर्ज़ न करने के प्रकरण में माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनाँक 26/09/2018 समय 2:00 बजे का कार्यवृत।

(फ़ाइल संख्या : VG/1/2018/STGUP/SEHRMT/RU-I)

बैठक की तिथि: 26/09/2018 at 2:00 बजे

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक क में है।

श्रीमती वीणा गोंड (पत्नी श्री कमलेश चन्द्र), सी – 32/42, फ्लैट नंबर 205, विनसम रेजीडेंसी, चंदुआ, छित्तुपुर, थाना – सिगरा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) ने अपने अभ्यावेदन दिनाँक 15/12/2017 में मार पीट, उत्पीड़न तथा पुलिस द्वारा एफ़आईआर दर्ज़ न करने के संबंध में आयोग से आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया। आयोग ने पत्र दिनाँक द्वारा 10/01/2018 से जिला अधिकारी, जिला – वाराणसी तथा पुलिस अधीक्षक, जिला – वाराणसी से मामले में तथ्यों सहित की गयी कार्यवाई प्रेषित करने का अनुरोध किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला – वाराणसी ने पत्र संख्या रीडर – एसपीपी – 40 (05)/2018 दिनाँक फरवरी 2018 द्वारा सूचित किया की प्रकरण में अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 5/2018 दिनांक 03/01/2018 को प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र में अंकित अन्य आरोपों के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य / साक्षी प्राप्त नहीं हो सका हैं। चूंकि विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, इस परिस्थिति में शिकायती प्रार्थना पत्र पर किसी अन्य कार्यवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

आयोग ने प्रकरण में दिनांक 17/08/2018 को 3:00 बजे पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी रेंज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला – वाराणसी तथा आवेदक के साथ विचार विमर्श करने के लिए सिटिंग आयोजित की थी, परंतु माननीय पूर्व प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेई) के निधन के कारण दिनाँक 17/08/2018 को अपराहन अवकाश घोषित हो गया था, अतः सिटिंग स्थगित कर दी गयी थी। पुनः दिनाँक 26/09/2018 को 2:00 बजे सिटिंग आयोजित की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - वाराणसी ने पत्र दिनाँक 23/09/2018 द्वारा सिटिंग के लिए पुलिस उप अधीक्षक, सुरक्षा को नामित किया

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

तथा पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी रेंज तथा स्वयम को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु दिये गए आदेश से मुक्त होने का अनुरोध किया। पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, जनपद – वाराणसी की आख्या रिपोर्ट संलग्न की। पुलिस अधीक्षक, जिला वाराणसी ने आख्या रिपोर्ट में सूचित किया, कि प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (2)(5) का व 3(1)घ की वृद्धि करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 389 / 2018 दिनाँक 13/08/2018 को प्रेषित किया जा चुका है। पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाई शेष नहीं है।

अभ्यावेदक ने आयोग को सूचित किया कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कि गयी और मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जो एससी/एसटी एक्ट के अनुसार नहीं है। अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाई न करने के कारण उनका हौसला बुलंद है जिसके परिणामस्वरूप व समय समय पर धमकाते रहते हैं। इसी क्रम में दिनाँक 17/09/2018 एवं 18/09/2018 को विपक्षी लोगों ने हमला करने की कोशिश की तथा दिनाँक 24/09/2018 एवं 25/09/2018 को स्कूटी तथा कार को क्षति पहुचाई। अभ्यावेदक द्वारा एक अभ्यावेदन भी दिया गया (प्रति संलग्नक ख पर है) जिसमे प्रकरण में न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया है।

विचार विमर्श के बाद, आयोग ने पाया कि पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाई संदेहास्पद है क्योंकि एससी/एसटी एक्ट के अनुसार अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए था। अतः निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियों पर पुलिस द्वारा की गयी / की जाने वाली कार्यवाई की सूचना आयोग को एक महीने के अंदर सूचित करें।

(1) प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले / करने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट के अनुसार तथा अन्य सुसंगत धाराओं में नियमानुसार उचित कार्यवाई करे।

(2) अभ्यावेदक को उपलब्ध कराई गयी आर्थिक सहायता की राशि तथा दिनाँक जिस दिन आवंटन किया गया हो।

(3) अभ्यावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में सितम्बर, 2018 में अभ्यावेदक के ऊपर हुए हमले की जांच की जानी चाहिए तथा एससी/एसटी एक्ट के अनुसार प्रकरण में एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

Govt. of India
National Commission for Scheduled Tribes

(VG/1/2018/STGUP/SEHRMT/RU-I)

श्रीमती वीणा गोंड (पत्नी श्री कमलेश चन्द्र), सी – 32/42, फ्लैट नंबर 205, विनसम रेजीडेंसी, चंदुआ, छित्तुपुर, थाना – सिगरा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के साथ मार पीट, उत्पीड़न तथा पुलिस द्वारा एफ़आईआर दर्ज़ न करने के प्रकरण में माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनाँक 26/09/2018 समय 2:00 बजे का कार्यवृत।

प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम एवं पद
I	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
1.	सुश्री अनुसुइया उइके, (अध्यक्षता में) उपाध्यक्ष
2.	श्री पी. टी. जेम्सकुट्टी , उप सचिव
3.	श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4.	श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
5.	श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
II	पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी रंज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला वाराणसी
1.	श्री भवनेश चिकारा, पुलिस उप अधीक्षक, सुरक्षा, वाराणसी
III	अभ्यावेदक
1.	श्री मती वीणा गौर

सेवा में -

सुश्री अनसुईया उइके जी

उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनजातीय आयोग

भारत सरकार

3847/VC/2018 27/9

2719

AD Ru-I

उपाध्यक्ष

विषय - प्रार्थिनी का FIR न दर्ज करने एवं SC/ST ACT लगने के बावजूद गिरफ्तार न करने तथा अभियुक्तों द्वारा लगातार परेशान करने के सम्बन्ध में।

महोदया -

श्रीमती वीणा गोंड पत्नी कमलेश चन्द्र निवासी C 32/47 फ्लैट नं०-205 विस्मय रेजिडेन्सी चन्दुआ छित्तुपुर थाना-सिगरा, वाराणसी, पिन-221002 निम्नलिखित निवेदन है कि प्रार्थिनी ने दिनांक 15.07-12 को आयोग में एक शिकायत दर्ज करायी जिसमें आयोग के संज्ञान में लेने के बाद SC/ST ACT CO चेतगंज (P. Tiwari) लगाया गया लेकिन विपक्षीगण - प्रदीप कु० वर्मा, दिलीप कु० पंकज कु० वर्मा (वकील) प्रवीण कु० वर्मा पुत्रगण स्व० जरासं० उर्फ मुन्नालाल उपरोक्त फ्लैट में 107, 108, 109, 110 में निवास करते है। पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण विपक्षीगण हमलोगों को लगातार शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दे रहे। अभियुक्त हमलोगों का बिजली नहीं लगने दे रहे, गाड़ी को चोट पहुंचा रहे (कभी सीट काटकर, कभी हवा निकालकर तो कभी गिराकर)

27/9

SIR-V

... गया ... द्वारा

लिन्ट बनवाने में भी हजारो रु० लग चुके। अभियुक्त खुलेआम घूमते है एवं कहते है कि हमारा भाई वकील है अतः हम जो भी करें पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हम देख लेंगे जिससे बिल्डिंग के अन्य लोग भी सहमे है। सावन के आखिरी सोमवार को मैं दर्शन करने गयी रात हो जाने एवं मेरे अकेलेपन के कारण अभियुक्त मेरे ऊपर हमला करने के लिए गेट पर खड़े थे और उल्टा-सीधा बोल रहे थे मैं तुरन्त सिगरा थाना गयी वहां सूचना दी वहां से ASO SIR ने मेरे साथ मेरे फ्लैट तक दो सिपाही भेजा। मैडम आपसे निवेदन है कि आप इस पर जरूर कोई न कोई कार्यवाही करायें क्योंकि—

- दिनांक 7-12-17 को मेरे द्वारा 100 नं० 1090 पर call करने एवं लिखित रूप से थाने में रिपोर्ट देने के बाद भी मेरा FIR नहीं लिखा गया बल्कि उस समय के SI (गोपाल दास गुप्ता) द्वारा मुझे ही उल्टा सुनाया गया एवं देर रात तक थाने में बैठाया ग

- अभियुक्त द्वारा फर्जी मेडिकल एवं फर्जी FIR पर पुलिस ने कुछ नहीं किया उल्टा उसकी भी विवेचना करके चार्जसीट लगायी है। जबकी उनके खुद के मेडिकल कराये जाने को मैंने चैलेन्ज भी किया जब उनके घर में कोई घटना नहीं हुई वहां बिल्डर न गये कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो CO चेतगंज ने उसको फर्जी साबित कर कैन्सिल क्यों नहीं किये।

- विवेचना में बताया गया है कि कोई गवाह नहीं मिले जबकि मेरी तरफ

- मेरे विरुद्ध जो मुकदमा लिखाया गया है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके पहले भी विरोधि अन्य लोगों के साथ कई घटनाएं कर चुके है। जिसका सबूत देने पर भी उसका उल्लेख नहीं किया गया।
- फ्लैट में विपक्षियों द्वारा सभी जगह CCTV कैमरा लगा है जिसकी निगरानी वह स्वयं करते है। जिसके कारण कब कौन कैसे आ जा रहा है देखते है एवं सुनसान देखकर कैमरे का लाभ उठाकर वो अकेलापन देखकर कभी भी कोई बड़ी घटना को अन्जाम दे सकते है। पहले भी विपक्षीगण इसका फायदा उठाकर हम लोगो पर बुरी तरह हमला करके साक्ष्य को नष्ट कर चुके है। अतः CCTV कैमरे का औचित्य क्या है, अनावश्यक रूप से लगे CCTV को हटवाया जाय ताकि आगे हमलोग सुरक्षित महसूस कर दें।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे मुकदमे की सही विवेचना करायी जाय, विपक्षीगण के फर्जी मुकदमे को Cancil कराया जाय आप सक्षम अधिकारी को आदेशित करें कि मेरा FIR दर्ज किया जाय एवं जल्द से जल्द विरोधियों को गिरफ्तार किया जाय ताकि न्याय हो अन्यथा विपक्षीगण का मन बढ़ा हुआ है कोई बड़ी घटना को कभी भी अन्जाम दे सकते है। क्योंकि अभी दिनांक 24-09-18 को मेरी Scooty की सीट को चाकू से बुरी तरह काट दिया गया दिनांक 25-09-18 को मेरी कार के पहियों का हवा निकाल दिया गया दिनांक 17-09-18 एवं 18-09-18 दोनो दिन लगातार मेरे स्कूटी को ~~का~~

पत्थर किया गया। हम लोगों पर हमला करने की कोशिश
~~की गयी~~ किया गया।

दिनांक - 26-09-18

प्रार्थिनी
वीणा गौड़
Veena

मो० नं०- 9935189467

संलग्नक -

1- दिनांक 7.12.17 को मेरे द्वारा सिंगरा थाना के SO को दिया गया पत्र।
2- जाति प्रमाण पत्र।
3- विवेचक द्वारा लगायी गयी चार्जशीट।
4- विपक्षीगण का FIR
5- मेरे द्वारा मेडिकल चैलेन्ज करने की अपील।
6- पहले भी विपक्षी जो वारदात कर चुके हैं उसका सबूत।